

सरकार को मान्यता दे दी है। लेकिन इस के साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि यह सप्ताह सब से अच्छा और उपयुक्त है, मुक्तिवाहिनी की प्रेरणा के लिए भी इस सप्ताह से हमें मान्यता बंगला देश की सरकार को दे देनी चाहिए क्योंकि जो भी अब तक मुक्तिवाहिनी को प्रेरणा मिली है वह हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री से मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दो हफ्ते के अन्दर बंगला देश निश्चय रूप से आजाद होगा।

यही नहीं मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि परतून नेता जो वहाँ चुने गए थे पेशावर में वह भी आज पाकिस्तान में नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान के बहुत से मेम्बर पार्लियामेंट आज लदन पहुँच गये हैं। वह याह्या खा का समर्थन नहीं करते। तो यह जो बनावटी एम० पी० आ रहे हैं उनके लिए बंगला देश की मुक्तिवाहिनी काफी है, उन को शूट करने के लिए। उन से डरने की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सुरक्षा मंत्री जी से कि यह जो अमरीकी जहाज हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं ... (श्रीबघान) ... वह अमरीकी जहाज ही है जो पाकिस्तान के पास है, वह जनसंघ के जहाज नहीं है, सेवर जेटम जो अमरीकी जहाज उल्लंघन कर रहे हैं, क्या उनके विमान चालक पाकिस्तानी है या अमरीकी है या विदेशी है, बाहर के भी है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों यू-2 का एक जहाज था जो कि पाकिस्तान से उम के पड़ोस में भेजा गया था, वह शूट किया गया था तो उम में अमरीकन मौजूद थे। तो हम चाहते हैं इस बात के लिए खास तौर से रक्षा मंत्री जी हमें आश्वासन दें और यह बताये कि उन में विदेशी चालक थे या नहीं थे और ग्राइन्दा होंगे तो उनको जरूर शूट करके गिरावेंगे। यह आश्वासन मैं चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार कोई भी इस प्रकार का जहाज हिन्दुस्तान से वापस नहीं जायगा। यह भी मुझे पूरा विश्वास है लेकिन सदन के सामने यह आश्वासन पहले भी दिया और आज भी फिर हम

चाहते हैं, बस, इतना ही मैं आप से स्पष्ट कराना चाहता हूँ।

श्री जगजीवन राम : उपाध्यक्ष महोदय, शशिभूषण जी ने ठीक ही कहा। एक हफ्ते से उन्होंने शुरू किया और दो हफ्ते पर गए, एक दो हफ्ते, उस के साथ साथ उपयुक्त समय में और जोड़ देता हूँ। एक दो हफ्ते या उपयुक्त समय पर मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर लिया जायगा।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : एक दो हफ्ते के भीतर जो उपयुक्त समय हो।

श्री जगजीवन राम : एक दो हफ्ते या उपयुक्त समय पर विचार कर लिया जायगा।

दूसरा प्रश्न इन्होंने किया कि जो जहाज उधर से आते हैं उस पर विदेशी चालक होते हैं या नहीं, तो वह तो सभी विदेशी चालक ही होते हैं, वह सब जो पाकिस्तान के चालक बनते हैं विदेशी ही हैं, पाकिस्तानी हमारे लिए विदेशी ही हैं।

जहाँ तक आप ने दूसरी बात कही, मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारे हवाई जहाजों को और सैनिकों को आदेश है कि इस तरह के जहाज आएँ तो उन को मार करके गिरा दें।

14.55 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Uma Shankar Dixit.

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 1968

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU) : On behalf of Shri Uma Shankar Dixit

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you are doing it on his behalf, you should have fu-

[Mr Deputy-Speaker]

formed me before. You may lay the papers now.

SHRI A. K. KISKU : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 :--

- (1) S. O. 3748 published in Gazette of India dated the 10th October, 1971 declaring service connected with conservancy and sewage disposal in the Union territory of Delhi to be an essential service for the purposes of the Essential Services Maintenance Act, 1968.
- (2) S. O. 3749 published in Gazette of India dated the 10th October, 1971 containing order prohibiting strikes in any service in the Union territory of Delhi connected with conservancy and sewage disposal. [Placed in Library. See No. LT-928/71].

STATEMENT RE. RETIREMENT OF SHRI B. C. GANGULI, EX-CHAIRMAN, RAILWAY BOARD

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to lay on the Table a statement on the retirement of Shri B. C. Ganguli, ex-Chairman, Railway Board. [Placed in Library. See No. LT-929/71].

MR. DEPUTY-SPEAKER : MR. K. N. Singh.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KEDAR NATH SINGH) : On behalf of Shri Raj Bahadur.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने इस मुद्दे के सम्बन्ध में स्पीकर महोदय को पत्र लिखा था। हमारे संसदीय कार्य मंत्री 13 आर्डिनंस सदन के सामने रख रहे हैं। ... (व्यवधान) ... मैं आइटम नं० 7 के सम्बन्ध में कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि आप इस समय स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं। मैंने स्पीकर

को सबेरे पत्र लिखा था। इंटर सेशन पीरियड में 13 आर्डिनंस जारी करना यह तो सदन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। आप को स्मरण होगा कि श्री मावलंकर ने प्रधान मंत्री नेहरू से इस बारे में पत्र व्यवहार किया था...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is laying copies of the Ordinances issued during the inter-session period. Let him lay them. You may have your objections to them but there is nothing to prevent their being laid on the Table. You can seek another opportunity to criticise the Government for doing this. But I cannot prevent papers being laid on the Table of the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : My submission is that this is the opportune moment to raise this question.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No discussion.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Unless you fix sometime for discussion when is the time ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your letter is being considered by the Speaker ; it is not before me now. That would be given due consideration. What I am saying is that this cannot prevent papers from being laid on the Table of the House.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : There is the motion for disapproval of the Ordinance ; it is one way of discussing it. If it is about the issue of Ordinances, we are not in favour of Ordinances. Three or four Ordinances have been issued to impose taxation. Apart from that, most of the Ordinances are in the interest of the country.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We are not discussing the merits. I seek your guidance as to how this question could be raised. When the Ordinances will be discussed, they will be discussed individually.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Vajpayee is a senior Member of the House. He has written to the Speaker. I do not know what he has written, but that will be given due consideration. I cannot give an answer to that now. What I am saying is that it